

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(जुलाई, 2016 सत्र)

(दिनांक 11 जुलाई, 2016 से 19 जुलाई, 2016 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
वर्ग - 1					
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	सोमवार, 11 जुलाई, 2016	बुधवार, 15 जून, 2016		
वित्त	"				
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"				
जनसंपर्क	"				
खनिज साधन	"				
ऊर्जा	"				
विमानन	"				
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री			सोमवार, 18 जुलाई, 2016	शुक्रवार, 24 जून, 2016
समाज कल्याण	"				
श्रम	श्रम मंत्री				
खेल एवं युवा कल्याण	"				
जन शिकायत निवारण	"				
वर्ग - 2					
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	मंगलवार, 12 जुलाई, 2016	गुरुवार, 16 जून, 2016		
संसदीय कार्य	"				
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	"				
चिकित्सा शिक्षा	"				
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री				
ग्रामोद्योग	"				
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"				
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"				
सहकारिता	सहकारिता मंत्री				
संस्कृति	"				
पर्यटन	"				
वर्ग - 3					
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री	बुधवार, 13 जुलाई, 2016	शुक्रवार, 17 जून, 2016		
वाणिज्यिक कर	"				
वाणिज्य एवं उद्योग	"				
सार्वजनिक उपक्रम	"				
गृह	गृह मंत्री				
जेल	"				
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"				
वन	वन मंत्री				
विधि एवं विधायी कार्य	"				

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग - 4			
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी	कृषि मंत्री	गुरुवार, 14 जुलाई, 2016	मंगलवार, 21 जून, 2016
पशुधन विकास	"		
मछली पालन	"		
जल संसाधन	"		
आयाकट	"		
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"		
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास स्कूल शिक्षा	आदिम जाति विकास मंत्री		
वर्ग - 5			
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास उच्च शिक्षा	राजस्व मंत्री	शुक्रवार, 15 जुलाई, 2016	मंगलवार, 21 जून, 2016
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	"		
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
आवास एवं पर्यावरण परिवहन	"		

- नोट :-
1. विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों को लागू होंगे.
 2. सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में कार्यालय समय में प्राप्त की जावेगी.
 3. प्रश्नों की सूचना छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी.
 4. फैंक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएगी.

रायपुर

दिनांक : 10 जून, 2016

पृ.क्र. 5626/वि.स./प्रश्न/2016

प्रतिलिपि :-

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा

हस्ता./-

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा

रायपुर, दिनांक : 10 जून, 2016

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा